

अज अदालत सहायक कलक्टर (व.स.स.) मुकाम ढाँच नौर  
 जमाना ना/मुलाल  
 केरम मुकदमा 128 नं. 54 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10-9-18	<p>वाद/प्रतिवादी पत्र वाद जांच प्राप्त हुआ / जिले दर्ज रजिस्ट्रार किया जावे । प्रतिवादीगण को जोरिये लगान लाने स्थित जावे, जिसल वास्ते लगान बर्डलजाए दिनांक 28-11-18 को पेश करे ।</p> <p style="text-align: center;"><b>सहायक कलक्टर (SDU) ढाँच नौर</b></p>	
28-11-18	<p>पत्राव: पेश हुई । वार संघ द्वारा हडताल/शोकसभा/न्यायिक पेशगी... आजा खे</p> <p>अधिका... रीडर</p> <p>भ्रमण/अ... रीडर</p> <p>दिनांक... 6-2-19... सहायक कलक्टर ढाँच नौर</p>	
6-2-19	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्राथी उपस्थित । अप्राथी सं. 1 व 2 की ओर से पावर पेश हुआ । पत्रावली वास्ते जवाब 1.3.2019 को पेश दौ ।</p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक कलक्टर (SDU) ढाँच नौर</b></p>	
1-3-19	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील प्राथी उपस्थित । प्रतिवादी सं. 1, व 2 की ओर से अधिवक्ता शंकर शर्मा ने जवाब पेश किया । जवाब की पत्ती वादी/प्रतिवादी वकील को दी गई । अप्राथी सं. 3, 4 व 5 की ओर से कोई उपस्थित नही । आवाजें लगवाई गई पर कोई उपस्थित नही हुआ । विपक्षी सं. 3, 4 व</p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक कलक्टर (SDU) ढाँच नौर</b></p>	

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नफर  
अरका  
हुकम  
में

5 के विरुद्ध एक तरफा न्यायवाही  
के आदेश दिए जाते हैं।

पत्रावली का शिलोकात्मक किया  
गया। प्रार्थी व अप्रार्थी (म. 1, 92)  
के अधिवक्ताओं की बयान  
सुनी गई। पत्रावली में पथर  
गुडी के आदेश देना उचित  
प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र  
स्वीकार कर पथर गुडी  
के आदेश दिए जाते हैं।

द्वि. बदनाम का पथर  
गुडी इतने तरीके जायी हो  
पत्रावली के संल सुमार

इसके संबंधित दफतर हो  
और नगवरी से काम हो।

सहायक 3-100  
(S.D.O. मन्सूर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) बदनोर, जिला भीलवाडा

कमांक/रा0कोर्ट/2019/404

दिनांक- 13.5.19

प्रेषिति-

तहसीलदार, बदनोर

(दौ प्रतियो में)

विषय-मु.त.प्र.सं 54/2018 अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम।



आदेश दिनांक:-01.03.19 की पालनार्थ बाबत

अनवान

1. जयसिंह पिता बालुराम महाजन निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाडा। -प्रार्थी

बनाम

1. नाथुलाल पिता शोभालाल नाई निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
2. पुखराज पिता शोभालाल नाई निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
3. भागुती पत्नी कल्याण गुर्जर निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
4. सरपंच सा. ग्राम पंचायत पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब बदनोर जिला भीलवाडा।-विपक्षीगण

विषयान्तर्गत न्यायालय हाजा के आदेशानुसार लेख है कि खाता संख्या 206 की आराजी नम्बर 2876 रकबा 0.11 है0, भूमि वाके ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील बदनोर की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भू0अभिलेख निरीक्षक को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क राजकोष में जमा किये जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। अतएवं पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट मय चालान की प्रति, मौका पर्चा रिपोर्ट मय तामिलि सूचना रिपोर्ट सहित इस न्यायालय में 15 दिवस में आवश्यक रुप से भिजवावे।

  
S.D.O. बदनोर